रोजगार गारंटी योजना जागरूकता अभियान

उद्देश्य :–

- o योजना की सम्पूर्ण जानकारी समुदाय को हो।
- o समुदाय द्वारा रोजगार ग्यारंटी का अधिकाधिक लाभ उठाया जाये।
- o काम की मांग की जाये।
- o ग्रामसभा में काम को लेकर बात की जाये।

उक्त उद्देश्यों को लेकर निम्न ग्रामों में जागरूकता अभियान किया गया :

क.	गांव का नाम	पंचायत	दिनांक	महिला	पुरूष	कुल	प्रकिया	स्थान
1.	बरवाही	करवाही	09.08.08	32	8	40	चार्ट, पोस्टर, आवेदन	आंगनवाडी भवन
2.	करवाही	करवाही	11.08.08	39	17	56	चार्ट, पोस्टर, आवेदन	आंगनवाडी भवन
3.	मेण्डकी	मेण्डकी	12.08.08	43	18	61	चार्ट, पोस्टर, आवेदन	आंगनवाडी भवन
4.	देवरबेली	मेण्डकी	13.08.08	47	12	59	चार्ट, पोस्टर, आवेदन	आंगनवाडी भवन
5.	मरारीटोला	करवाही	14.08.08	23	10	33	चार्ट, पोस्टर, आवेदन चर्चा	आंगनवाडी भवन
				65	184	249		

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट के द्वारा बैहर विकासखंड की दो पंचायतों करवाही एवं मेण्डकी के पांच गांवों में रोजगार गारंटी योजना जागरूकता अभियान चलाया गया। इन दोनों पंचायतों के पॉचों गांवों में अलग अलग तिथियों में यह अभियान चलाया गया।

सर्वप्रथम अभियान के दौरान रोजगार गारंटी योजना के लिये इन गांवों में बनाये गये स्वसहायता समूहों के साथ बैठक कर रोजगीार गारंटी योजना के कियान्वयन में हमारी क्या भूमिका हो सकती है और इसे हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं इसके लिये विस्तृत चर्चा कर सभी लोगों को एक साथ चर्चा के लिये इकट्ठा होने की बात की गई। गांव के बच्चों के साथ मिलकर रैली निकाली गई और इस दौरान रोजगार गारंटी योजना से संबंधित नारे लगाये गये। रैली के आयोजन के उपरांत गृहभेंट किया गया कि जिससे अधिक से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र हो सकें।

सभी पांचों गांव में आंगनवाड़ी भवन में उपस्थित सदस्यों के साथ बैठकर निम्न मुद्दों पर बात की गई :

- ❖ रोजगार गारंटी योजना क्या है और अब तक की स्थति में इसके प्रति हमारी समझ क्या है।
- ❖ अब तक इस योजना के अंतर्गत हमारे गांवों में क्या क्या काम हुये हैं।
- ❖ काम मिलने की स्थिती क्या है।
- ❖ निगरानी समिति की भूमिका क्या होती है।
- ❖ इस योजना के अंतर्गत कराये गये काम की गुणवत्ता क्या है।
- ❖ पलायन की हमारे गांवों में क्या स्थिती है।
- ❖ इस योजना के सही कियान्वयन में हमारी भूमिका क्या हो सकती है।

चर्चाऍं :

उपस्थित समुदाय, सरपंच और वार्ड पंच से अपने आने का उद्देश्य बताते हुये लोगों से इस विशय पर चर्चा करने की बात की । हमारे द्वारा रो.गा.यो. को लेकर समुदाय को जानकारी दी गई जिसमें मुख्य रूप से जॉब कार्ड पंजीयन पंचायत द्वारा, एक परिवार को एक वर्श में 100 दिन का रोजगार कैसे प्राप्त होगा। इसमें परिवार के एक सदस्य को ग्राम पंचायत में काम मांगने के लिये आवेदन देना होगा। 15 दिन के अंदर काम प्राप्त होगा। आवेदन देने के पश्चात पावती लेना आवश्यक। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये आवश्यक है। तथा कार्यस्थल पर दी जाने वाली सुविधायें जिसमें साफ पानी प्राथमिक उपचार हेतु दवायें छॉव की व्यवस्था छूले घर की व्यवस्था होनी चाहिये।

जॉब कार्ड में रोजी रोज दर्ज होना चाहिये एवं मस्टररोल कार्यस्थल पर भरा जाना चाहिये। इस तरह से अन्य जानकारियां चार्ट पोस्टर पम्पलेट के माध्यम से बताया गया। कुछ लोगों ने काम के लिये आवेदन की बात की तो वहॉ उपस्थित लोगों को आवेदन वितरित किये गये। एवं लोगों का कहना था कि हम पंचायत में आवेदन देंगे और पावती पास रखेंगे। जिससे 15 दिन के अंदन काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिल सके। यह जानकारी देने के बाद लोगों ने कहा कि अब हमें रोजगार गारंटी योजना की जानकारी बहुत हो गई है और हम काम की मांग आवेदन के माध्यम से करेंगें।

महिलाओं से बात करने पर मालूम हुआ कि रोजगार गारंटी योजना की जानकारी कुछ है परन्तु पूर्ण जानकारी नहीं है जिससे सभी महिलाओं को रोजगार गारंटी से संबंधित सभी जानकारियॉं दी गई। तथा महिलाओं के द्वारा फिलहाल की स्थिति में कोई भी काम न होना बताया गया। इसलिये सभी महिलाओं को आवेदन लगाने को कहा गया एवं वहां कुछ आवेदन पंचायत में लगाने के लिये दिया गया।

उक्त बिन्दुओं पर चर्चा करने के बाद उपस्थित सभी सदस्यों से निम्न समस्याएँ निकलकर सामने आईं :

- आवेदन लगाने के बाद भी नियमित काम नहीं मिलता।
- सरपंच सचिवों के द्वारा आवेदन नहीं लिया जाता।
- काम होने के बाद सही समय में भुगतान नहीं होता।
- सही समय में काम और भुगतान न मिलने से आधा से ज्यादा गांव पलायन कर जाता है।
- काम के समय प्रभावशाली व्यक्तियों का अधिक समय तक बेवजह खड़े होना , जिससे काम कर रहे अन्य लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है।

समुदाय के बीच से निकलकर आई ये सभी समस्याओं के लिये हम क्या कर सकते हैं ? हमें किस प्रकार की रणनीति हमारे गांव के विकास के लिये बनानी होगी जिससे गांव के लोगों को लगातार गांव में ही रोजगार मिल सके ओर नियमित समय पर भुगतान हो। निर्णय लिया गया कि हम गांव में बने युवाओं के साथ और जागरूक युवाओं के सहयोग से अपनी पंचायतों में निरन्तर काम के लिये आवेदन लगायेंगे, और हमें किस समय काम की जरूरत है इस पर कार्ययोजना बनायेंगे।

अनुभव :

समुदाय से बात करने पर यह निकल कर आया कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। यदि कुछ जगह काम हुये भी हैं तो वह पंचायत तथा कियान्वयन एजेंसियों के द्वारा खुलवाये गये हैं। यहॉं पर लोगों का आवेदन के माध्यम से काम मांगने की कहीं भी भागीदारी नहीं है। इसका कारण यह है कि उन्हें रो.गा.यो. की पूर्ण जानकारी नहीं है, और यह भी मालूम नहीं है कि काम के लिये आवेदन पंचायत में लगाये जाते है अगर कुछ ग्राम में आवेदन लगे भी हैं तो वे मुख्य गांव के ग्रामवासियों ने ही लगाया है। पंचायत से दूर बसे टोलो में इसकी समझ नहीं है।

परियोजना क्षेत्र से

महिलाओं की निगरानी समिति

बैहर विकासखण्ड से 18 किलोमीटर की दूरी में बसा ग्राम मेंडकी, जिसकी कुल जनसंख्या 671 है। जिसमें मुख्यतः आदिवासी व पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व मजदूरी है। कृषि और मजदूरी लोगों के जीवन यापन का मुख्य जरिया है।

पैक्स कार्यक्रम के तहत संस्था कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट द्वारा छः पंचायतों में कार्य किया गया। संस्था द्वारा निरतंर कार्यों के साथ महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया गया। महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इन सभी समूहों को निरतंर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, भम्रण आदि के द्वारा इन्हें आगे लाने के प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास जिसमें छः पंचायतों करवाही, मेंण्डकी, जत्ता, परसाटोला, किनारदा और भण्डेरी को मिलाकर पलाश संघ का गठन किया गया। इसी के साथ पंचायत में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास भी किया गया, ताकि ग्राम के विकास कार्यो में महिलाओं द्वारा भी अपनी भूमिका दर्ज कराई जाती रहें। पंचायत की योजनाओं तथा रोजगार गांरटी में अपनी भूमिका की समझ महिलाओं में बनी। परिणाम स्वरूप स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने अधिकार एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी ना केवल समूहों की बैठको में प्राप्त की, बल्कि उसे अपने परिवार के साथ –साथ गांव के लोगों तक पहुंचाया।

रोजगार गांरटी योजना के अंतर्गत जब पंचायत प्रतिनिधि को मिलाकर रेाजगार गांरटी निगरानी समिति का गठन किया गया। लेकिन सभी सदस्य पंचायत के थे। इसीलिए दुर्गा एवं मॉलक्ष्मी स्व सहायता समूह की जो इसी ग्राम के हैं, दुर्गा समूह की अध्यक्षा श्रीमति सुकवारो विश्वकर्मा द्वारा सभी महिलाओं के साथ विचार – विमर्श किया गया कि हमारे पंचायत में जो रोजगांर गांरटी निगरानी समिति बनी है उसमें सभी पंचायत प्रतिनिधि है तथा जो भी काम पंचायत द्वारा कराया जाता है इसकी देखरेख भी इन्ही लोगों द्वारा किया जाता है। इससे काम में कमी होती है वह गांव के अन्य लोगों को पता नही चलता तथा पंचायत कभी कोई जानकारी नही बताती इससे किसी भी काम गुणवत्ता नही होती।

उसी समय (माह मई) पंचायत द्वारा गांव में सड़क में मिटटीकरण का काम चालु हुआ तथा काम में हो रही अनियमित्ता तथा मजदूरों के साथ हो रहे व्यवहारों को देखकर सुकवारो विश्वकर्मा द्वारा कार्य के स्थान पर सभी महिलाओं को जोड़कर दिनांक 9 जून 2008 को ग्राम स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया। समिति का गठन करते समय पंचायत की सरपंच श्रीमति द्रोपति उयके तथा पलाश महिला संघ की अघ्यक्ष श्रीमति मनीषा परते को सम्मिलित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि हम इस तरह पूरे काम की निगरानी करेगें तथा जो भी अच्छा या बुरा परिणाम होगा इसकी सारी जानकारी पलाश महिला संघ की बैठक में बतायेगें ताकि अच्छे परिणाम को अन्य पंचायतों में अपनाया जायें, तथा पलाश संघ से जुड़े अन्य महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़े तथा इस काम करने से निगरानी समिति से जुड़े महिलाओं में अलग खुशी है तथा उन्हें अपने संघटन का एहसास हुआ।
पंचायत द्वारा भी इस समिति तथा सरपंच महोदया द्वारा इस काम की काम की मांग के लिए निरतंर आवेदन लगाने की समझ बनी तथा गांव की समुह से जुड़े महिलाओं को सहायोग करने का फैसला किया।

रोजगार के लिए सामूहिक प्रयास

कम्युनिटी डव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट द्वारा बैहर विकासखंड की छः पंचायतों (करवाही, मेण्डकी, जत्ता, परसाटोला, भण्डेरी, किनारदा) में विगत चार वर्षो के दौरान पैक्स कार्यक्रम के तहत सामुदायिक सशक्तिकरण हेतु सामुहिक प्रयास परियोजना का कियान्वयन किया गया है। जिसके अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों का गठन किया गया, जिसका मुख्य उददेश्य महिलाओं को घर की चार दिवारी से निकालकर बाहर लाना तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ – साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए छोटी – छोटी आर्थिक गतिविधियां प्रारम्भ की गई। इन प्रयासों में एक प्रयास जिसमें महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है वह पंचायत है।

इन्ही उददेश्यों के साथ ग्राम पंचायत करवाही में 13 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया, पंचायत में ग्राम बुध्दुटोला व मरारीटोला की महिलाओं द्वारा अपनी उपस्थिति पंचायत में दर्ज करवाई। ग्रम सभा की बैठकों में जाकर महिलाओं द्वारा आने वाले बजट एवं कार्यो की जानकारी प्राप्त की, लेकिन जब रोजगार गांरटी योजना में एक परिवार को 100 दिन का काम मिलने की गांरटी सरकार द्वारा दी गई, लेकिन पंचायत में काम खुलने के बारे में कोई स्पष्ट रणनीति नही बनाई गई। सरपंच द्वारा अपने मन से काम खोलना, जिसकी सूचना सभी लोगों तक न पहुंचाना तथा काम में किसी भी प्रकार की योजना नहीं। रोजगार गांरटी योजना में काम की गांरटी के बाद भी गांव से परिवार का पलायन चालू रहा, पंचायत में काम के बाद भुगतान भी लम्बे समय होना यह भी परेशानी बनी रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी महिलाओं द्वारा आवेदन लगाकर काम मांगने की प्रकिया चलती रही। महिलाओं द्वारा जब कभी भी काम को आवेदन लेकर सचिव के पास जाते तो सचिव द्वारा आवेदन लेने से स्पष्ट मना कर दिया जाता, कहा जाता कि मैं आवेदन नहीं ले सकता, आप सरपंच के पास जाओ तथा सरपंच द्वारा भी यह कहा जाता। लेकिन महिलाओं द्वारा रोजगार गांरटी के प्रावधानों की बात सरपंच से की गई। तो उन्होने आवेदन तो ले लिया, लेकिन पावती नहीं दी कहा क्या मेरे उपर विश्वास नही है ? महिलाओं द्वारा सरपंच की बात मान ली गई। लेकिन जब आवेदन लगाये 15– 20 दिन के बाद भी काम नहीं मिला तब पुनः जाकर महिलाओं द्वारा सरपंच से बात की गई। जिसमें सरपंच द्वारा किसी भी प्रकार के आवेदन लगाने की बात स्पष्ट मना कर दी गई, पावती के अभाव में महिलाएं कुछ नही कर पाई।
इसके बाद जब 10 मार्च 2008 को ग्राम बुध्दुटोला में मां लक्ष्मी स्व सहायता समुह की बैठक की गई जिसमें चर्चा का मुख्य विषय रोजगार गांरटी रखा गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा पलायन एवं इससे संबंधित अन्य समस्याओं पर विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया कि हम अपने गांव के सभी परिवार का आवेदन लगवायेंगे। इसके बाद सभी महिलाओं का प्रयास चालु हुआ।

समूह की अध्यक्ष श्रीमति सुगनी मरकाम तथा समुह सचिव फूला वासनिक द्वारा रोजगार गांरटी आवेदनों की व्यवस्था की गई। इसके बाद 13 मार्च 08 को एक स्थान पर बैठकर सभी 53 परिवार को आवेदन भरा गया तथा सभी लोगों द्वारा निर्णय लिया गया कि ये सारे आवेदन जनपद पंचायत बैहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपेगे। इसकी जवाबदारी समूह की अध्यक्ष / सचिव को सौपी गई। 14 मार्च को 53 आवेदन जनपद पंचायत में अधिकारी को देने गये। लेकिन उस दिन मुख्यकार्यपालन अधिकारी के नहीं मिलने पर आवेदन बाबू के पास जमा कर पावती लेकर महिलाएं वापस आ गई । आवेदन लगने के लगभग 20 दिन बाद गांव के

लोगों को काम मिला जिससे समूह की महिलाओं के प्रति गांव वालो की स्पष्ट सोच बनी तथा उन्हे समूह के संगठन को एहसास हुआ।

आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर कुछ कदम

बैहर विकासखंड से 15 कि.मी. दूरी पर एक ग्राम देवरबेली है जो ग्राम पंचायत मेंडकी के अंतर्गत आता है। यहॉ की कुल जनसंख्या 234 है जिसमें कुल परिवार 40 है। यहॉ पर आदिवासी एवं पिछड़ी जाती के लोग निवास करते है यहॉ पर लोगों का व्यवसाय कृषि / मजदूरी है इसी से लोगों का जीवन यापन होता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें बाहर पलायन करना पड़ता है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि भी पर्याप्त मात्रा में नही है और मजदूरी भी नहीं मिलती।
संस्था ने रोजगार गारन्टी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इस योजना में मिलने वाले एक परिवार को 100 दिन के काम को लोगो तक पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की बैठको में चर्चा का विशेष मुददा बनाया गया। गांव के अन्य सदस्यों तक इस जानकारी को पहुचाने के सार्थक प्रयास किये गये साथ ही रोजगार गांरटी योजना के प्रति लोगों की और समझ बढ़ाने के लिए रैली, अभियान, नारेलेखन, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर का उपयोग किया गया। रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक और प्रयास जिसमें संस्था द्वारा गांव के ही बच्चों द्वारा मिलकर रोजगार गांरटी योजना से संबधित नुक्कड़ नाटक तैयार कर सारे गांवों में दिखाया गया।

पंचायत प्रतिनिधियों के साथ रोजगार गांरटी योजना से संबंधित प्रशिक्षण और बैठकों का आयोजन कर रोजगार गांरटी योजना में ग्रामीण होकर पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हमारी क्या भूमिका है इस पर चर्चा की गई। इस तरह संस्था के द्वारा किये गये लगातार प्रयास से समुदाय को रोजगार गांरटी योजना के प्रति जागरूक कर एवं पंचायत को उनकी भूमिकाओं से अवगत कराया गया।

देवरबेली में 10 ऐसे बी.पी.एल. परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, भूमि है लेकिन बर्रा भूमि है जिसमें खेती करने से भी उपज नहीं होती, जिसके कारण उन परिवारों को अपने पालन– पोषण के लिए अपने परिवार तथा बच्चों को छोडकर बाहर पलायन करना पड़ता है। दिनों दिन मंहगाई के बढ़ते हुए उन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा इन 10 परिवारों की दयनीय स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया कि रोजगार गांरटी योजना से मिलने वाले लाभ जिसमें भूमि समतलीकरण का काम इन परिवारों को दिया जाए।

इस योजना में एक परिवार के लिए 25000 रू. की राशि स्वीकृत कराई गई, जिससे उनकी बर्रा भूमि में मेंड बधान से कृषि योग्य बनाया गया इस भूमि में इन परिवारों ने इस वर्ष फसल लगायी है बेहतर मानसून से यह उम्मीद की जा सकती है कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा।

अब ना होगा पलायन

बैहर विकासखंड से 20 किमी. की दूरी पर ग्राम पंचायत करवाही है, यहां की जनसंख्या 694 है कुल परिवार 47 हैं यह आदिवासी क्षेत्र है यहां पर लोगों का व्यवसाय कृषि मजदूरी है इसके साथ– साथ यहां पर सब्जी उगाने का भी काम किया जाता है।

पिछले चार वर्षो से यहॉ पर संस्था कम्युनिटी डव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट द्वारा किये गये प्रयासों में रोजगार गांरटी योजना को अधिक प्रभावी बनाने तथा इस योजना से मिलने वाले लाभों को सभी तक पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहो की बैठको में इसे विषेश मुददे के रूप में कार्य किया गया है। समुदाय में इस योजना की जानकारी को पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किये गये।

करवाही पंचायत में कृषि / मजदूरी के अलावा सभी लोगों का अन्य व्यवसाय सब्जी लगाना है किन्तु जिन किसानों के खेतों में सिंचाई का साधन है वे ही सब्जी उगाकर अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते हैं, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता किन्तु यहीं पर कुछ ऐसे भी परिवार है जिनके खेतों पर सिंचाई के साधन नहीं होने के कारण वे सब्जियां नहीं उगा पाते और कृषि / मजदूरी से उनकी प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें अपने जीवन यापन के लिए तीन से चार माह के लिए पलायन करना पडता था। क्योंकि गांवों में तो हमेशा काम नहीं मिल पाता, काम मिलता भी है तो उससे सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, साथ में कुछ न कुछ व्यवसाय होना जरूरी होता है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए यहॉ पर पंचायत द्वारा कपिलधारा योजना के अंतर्गत करवाही पंचायत में 25 परिवार को इस योजना का लाभ दिलाया गया। कपिलधारा योजना के अंतर्गत एक कुएं के निर्माण के लिए 70 हजार रू. की राशि स्वीकृत कराई गई और कार्य प्रांरभ है अधिकतर कुओं का काम पूर्ण हो चुका इस तरह पंचायत द्वारा दिलाये गए इस योजना के लाभ से लाभान्वित किसानों को सिंचाई करने की सुविधा मिली क्योंकि कुओं का निर्माण खेतों में हुआ है जिससे सब्जी उगाने के साथ – साथ जरूरत पडने पर फसलों में भी सिचाई की जा सकती है। गेहूं, चना भी उगाया जा सकता है जिससे इन परिवारों को अब रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करना पडेगा।

Name of Village	No. of Job Card Issued	Family					Population			Gov.Employee Having Job Card	Skilled Labor
		ST	SC	OBC	Gen	Total	M	F	Total		
Sarekha	88	74	1	13	0	88	233	255	488	16	3
Mendki	120	15	0	90	0	105	333	338	671	4	5
Debarbeli	40	12	0	28	0	40	111	123	234	3	1
Barwahi	98	89	2	5	2	98	255	261	516	2	5
Buddhutola	75	27	16	16	7	66	178	181	359	3	6
Mararitola	94	12	0	50	1	63	164	175	339	4	4

जागरूकता अभियान की गतिविधियॉं